बिहार सरकार

डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

पशुपालन निदेशालय

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

पत्रांक– 8 बजट (1) 16/2025...157 दि०...आ० दिनांक– ...20/02.../2026

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०

निदेशक, पशुपालन,

बिहार, पटना।

सेवा में

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,

पशुपालन निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय ः– **वित्तीय वर्ष 2025–26 में मांग संख्या–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 102 पशु तथा भैस विकास, 0101 फ्रोजेन सीमेन बैंक, विपत्रकोड 02–2403001020101, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0109 पशुधन विकास की योजना, विपत्रकोड 02–2403007890109 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, 0132 पशुधन विकास की योजना, विपत्रकोड 02–2403007960132 के अन्तर्गत कुल ₹1,82,16,110/– (एक करोड़ बयासी लाख सोलह हजार एक सौ दस) मात्र का आवंटन।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय को वहन करने हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या 4154 दिनांक 16.09.2025 के आलोक में निम्न तालिका के अनुसार कुल ₹1,82,16,110/– (एक करोड़ बयासी लाख सोलह हजार एक सौ दस) मात्र आवंटित किये जाते है।

क्र० सं०	विषय शीर्ष	विपत्र कोड– 02–2403001020101	विपत्र कोड– 02–2403007890109	विपत्र कोड– 02–2403007960132	कुल आवंटित राशि (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	52,82,600	92,90,200	36,43,310	1,82,16,110
कुलः–		**52,82,600**	**92,90,200**	**36,43,310**	**1,82,16,110**

(एक करोड़ बेरासी लाख सोलह हजार एक सौ दस) मात्र।

2. इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वष 2025–26 में मांग सं०–02 राज्य स्कीम के अधीन बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 102 पशु तथा भैस विकास, 0101 फ्रोजेन सीमेन बैंक, विपत्रकोड 02–2403001020101, बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 789 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, 0109 पशुधन विकास की योजना, विपत्रकोड 02–2403007890109 एवं बजट शीर्ष 2403 पशुपालन, 796 जनजातीय क्षेत्र उप योजना, 0132 पशुधन विकास की योजना, विपत्रकोड 02–2403007960132 के अन्तर्गत विकलित होगा।

3. यह आवंटन वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य स्कीम अन्तर्गत ''पशु एवं भैंस विकास की योजना'' के तहत ''पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान कार्य में उपयोग हेतु पूर्णिया सिमेन स्टेशन से उत्पादित फ्रोजेन सिमेन स्ट्रॉ के क्रय हेतु कॉम्फेड को अनुदान देने की योजना'' हेतु दिया जा रहा है।

4. इस राशि की निकासी निदेशक, पशुपालन, बिहार के द्वारा प्राधिकृत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी एवं बिहार स्टेट मिल्क को–ऑपरेटिव फेडरेशन लि0 (कॉम्फेड), पटना के पी0एल0 खाता (संख्या–PBBPLA023) में अंतरित किया जायेगा।

5. वित्त विभाग के पत्रांक 2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98, पत्रांक 227/वि०, दिनांक 28.03.2025 एवं पत्रांक 235/वि० दिनांक 01.04.2025 के आलोक में राशि आवंटित की जा रही है तथा राशि की निकासी में उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अक्षरशः अनुपालन आपके द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(क) एक मद की राशि दूसरे मद में व्यय नहीं की जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्तीय नियमावली के भाग –1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में आवंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाय।

(ग) आवंटित राशि में हुए व्यय की सूचना टी०भी० नम्बर एवं तिथि के साथ अधोहस्ताक्षरी को प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(घ) वित्तीय वर्ष 2025–26 का प्रर्त्यपण प्रतिवेदन 15 मार्च 2026 तक अवश्य भेजा जाय।

6. जनहित में योजना के उद्देश्य की पूर्ति हेतु वित्तीय/प्रशासनिक शक्तियों के अधीन बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए आवंटित राशि का व्यय किया जाये। इसके निमित्त संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदेही निर्धारित की जाती है।

विश्वासभाजन

निदेशक, पशुपालन।

ज्ञाप संख्या– 8 बजट (1) 16/2025 157 वि०ग०/आ०/ पटना–15, दिनांक 20/02/2026

प्रतिलिपि – उप महालेखाकार (वन लोन एवं लेखा) बिहार, पटना को उनके पत्र संख्या–टी०ए०–57–96–97–प०पा०–9–46 दिनांक 2 अगस्त 96 के प्रसंग में एवं उप महालेखाकार (अंकेक्षण) बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– उप सचिव, वित्त विभाग बिहार को उनके पत्रांक एम0–405/98 पार्ट–3909 वि0 (2) दिनांक 30.06.99 के प्रसंग में एवं आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– संबंधित कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा–09/योजना शाखा–10 एवं 06, पशुपालन, बिहार, पटना/ आई०टी० मैनेजर, डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग को (विभागीय वेवसाइट पर अपलोड एवं ई–मेल करने हेतु) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक, पशुपालन।